[Shri Raj Mohan Gandhi]

Forces. We are well aware of the fake encounter deaths about which we read. We are also aware of the hourly and indeed the minute by minute risk that the simple policeman takes in the defence of peace and human life in this country. So, I would like to take this opportunity, through this House and, through you, Madam Deputy Chairman, to urge the Government, and if it is not inappropriate, to urge the State Governments also, and indeed to urge the people of India through this House to think of the future of our Police. I feel, in this connection, that the retired Police officers and, perhaps, even the retired Army officers may be enlisted in this task of really streamlining both our recruitment and our training. Alas! it is a fact that the violence we face in the country today will be with us 5 years or 10 years or 20 years from now. But I also believe that if we have the right vision for our Police Forces, and see them not merely as people who will be attacked in the newspapers, who sadly commit atrocities and who are often involved even in torture, but as people who do their duty very bravely, who have both the good and the bad, and if we have a vision of our Police as one of the great forces for the renewal of our country and the unity of our country, that vision should translate itself first of all in better training procedures and also in streamlining as I mentioned, the recruitment at the initial stage.

Thank you, Madam.

THE NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN BILL, 1990—(contd)

THE DEPUTY CHAIRMAN: We will now take up further consideration of the National Commission for Women Bill, 1990.

सुषमा स्वराज जी, आप बोल रही थी; मगर कृपा करके आप जरा संक्षेप में बोलें चूंकि आपकी पार्टी का टाइम खत्म हो गया।

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : पार्टी का टाईम उपाध्यक्ष महोदया जी, आपका ... (**व्यवधान**) ...

उपसभापति : 18 मिनट बोल चुकी हैं।

श्री सिकन्दर बख्त (मध्य प्रदेश) : अब तो लंच होने वाला है... (**व्यवधान**)

उपसभापति : आप लिस्ट देख लीजिये, मेरे से बहस करने से बेहतर यह कि आप लिस्ट देखिये। जो टाइम होता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई मेम्बर ज्यादा बोलदे। मगर जितना भी जिस पार्टी का टाइम है उससे ज्यादा कोई बोलेगा तो मेरा यह फ़र्ज है कि मैं उसको आगाह करूं।

श्री सिकन्दर बख्त : यह प्रथम बार बोल रही हैं... (**व्यवधान**)

उपसभापति : प्रथम बार बोलने का यह मकसद नहीं होता है कि वह सब के टाईम पर बोल लें। दो-चार-दस मिनट ज्यादा बोलें कुछ हर्ज नहीं।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : अगर दो-तीन मिनट नहीं बोलेंगे ... (**व्यवधान**)

उपसभापति : यही मैंने बता दिया था कि वह 10 मिनट में खत्म करें।

श्री सिकन्दर बख्त : अभी 10 मिनट हो गये।

उपसभापति : हो सकता है कि बहुत अच्छे मुद्दे उठा रही हो, तो वह 10 मिनट में ही उठाले वह रह न जायें मुझे यह फ़िक्र है।

एक सम्मानित सदस्य : वह बहुत अच्छा बोलती हैं... (**व्यवधान**)

उपसभापति : हां बोलिये। आप जो मुद्दे उठा रही हैं वह 10 मिनट में उठाइये।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभापति महोदया, आपके संरक्षण में मैं पहली बार बोल रही हूं ... (**व्यवधान**)।

उपसभापति : दूसरी बार, कल भी तो आपको बोलने का मौका मिला था...

श्रीमती सुषमा स्वराज : तब आप कुर्सी पर विराजमान नहीं थीं, महोदया, 10 मिनट की उदारता तो आपने की है, उसके बाद भोजनावकाश होने वाला है। मैं समझती हूं कि पूरी जिन्दगी बहनें अपने भाइयों, माता को, पति को भोजन बनाकर खिलाती हैं, इसीलिए यदि आज भाई अपने भोजनावकाश में से कुछ समय दे देंगे, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा है, उस समय के अन्दर ही मैं अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करूंगी।

उपसभापति महोदया, कल जिस समय इस विधेयक पर चर्चा हो रही थी उस समय मैं इस विधेयक की धारा 3 पर अपनी बात कर रही थी। बिल के खंड 3 पर बोलते हुए मैंने एक सुझाव दिया था कि इस खण्ड में उन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जिन क्षेत्रों से इस आयोग के सदस्य नामांकित किये जायेंगे, तो मैंने ध्यान दिलाया था, मंत्री महोदय का इस ओर कि इसमें एक बड़ा प्रमुख क्षेत्र पत्रकारिता का अछूता रह गया है और उसको इसमें शामिल कर लिया जाए। सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने मेरे इस सुझाव का समर्थन किया था। मैं सदन के सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहती हूं और मंत्री महोदया से यह उम्मीद करती हूं कि सदन की भावनाओं को देखते हुए वह इसे बेझिझक स्वीकार करेंगी और इस क्षेत्र को उसमें शामिल करेंगी। इसी धारा पर बोलते हुए चार अन्य बहनों ने अपनी बात रखी जोकि चार विभिन्न राजनैतिक दलों से संबंध रखती हैं। लेकिन चारों एक मत थीं कि इसकी सदस्य संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया था कि बहुत से सदस्य रखे गये हैं, लेकिन सदस्य संख्या इतनी कम है कि उसका आपस में कोई सन्तुलन नहीं है। जयन्ती जी की तरफ से एक लिखित संशोधन भी आया कि पांच की जगह सदस्य संख्या सात कर दी जाए। आदरणीय कमला बहन ने सुझाव दिया कि सदस्य संख्या 11 कर दी जाए। महोदया, हमारे यहां कहावत है कि जब दो अलग-अलग तरीके के सुझाव आए तो मसला हल करने के लिए बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए। तो 7 और 11 के बीच का अंक 9 बनता है। और वैसे भी, गणित में यह अंक बड़ा शुभ माना जाता है। शायद आपको भी जानकारी होगी कि पूरे गणित में 9 अकेला ऐसा अंक है, जिसको चाहे जिस किसी अंक से गुणा किया जाए, उसके गुणनफल के अंकों का जोड़ 9 ही जायेगा। इतना प्रभावी अंक यदि इस सदस्य संख्या को मिल जाए, तो मैं समझती हूं कि यह शुभ लक्षण भी होगा, और...

उपसभापति : 99 के चक्कर में न फंस जाएं, 9 के ही चक्कर में रहिएगा ... (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : शनि देवता का अंक भी है ... (**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मां दुर्गा का अंक भी 9 हैं, नव दुर्गे और नवग्रह भी अंक 9 वाले हैं... (**व्यवधान**)

उपसभापति : नौ और दो ग्यारह न हो जाएं... (**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, इसके बाद मैं धारा 4 पर आती हूं। धारा 4 के रूप में बिल्कुल संशोधन कर दिया गया है, पूर्ण रूप से परिवर्तन कर दिया गया है। इसके लिए मैं मंत्री महोदया को बधाई देना चाहती हूं।

महोदया, इस विधेयक की तत्कालीन धारा 4 की उपधारा 2 में बहुत निरंकुश

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

भाव से केन्द्र सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह तीन महीने का नोटिस देकर आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को बर्खास्त कर सकती हैं। इतनी आर्बिट्रेरी वह धारा थीं, इतनी निरंकुश वह धारा थी कि महिला प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया और बड़ा जबरदस्त विरोध किया । मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि वह इस खंड में परिवर्तन करेंगें और उन्होंने इस धारा में कुछ स्थितियों का उल्लेख कर दिया है, जैसे कि वह दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए या नैतिक जुर्म-याफ्ता हो जाए, ऐसी-ऐसी स्थितियां रख दी है कि ऐसी घटनाओं के घटने पर ही आयोग के किसी सदस्य को निकाला जा सकता है। उसके साथ ही साथ एक अन्य प्राविजो इसमें डाला है, जो न्यायिक प्रक्रिया के सामान्य सिद्धांत के अनुरूप भी पड़ता है। आप जानते हैं कि न्यायिक व्यवस्था सर्वदा यह मांग करती है कि यदि आप किसी व्यक्ति कि विरुद्ध कोई फैसला लेना चाहते है, तो उसे सुनवाई का मौका दिए बिना आप ऐसा नहीं कर सकते । आपको उसकी सुनवाई की व्यवस्था करनी चाहिए । पहले ऐसी व्यवस्था इस विधेयक में नहीं थी । लेकिन मुझे खुशी है कि यह प्राविजो डाला है कि यदि आयोग के किसी सदस्य या अध्यक्ष के खिलाफ सरकार फैसला करना चाहेगी, तो पहले उसको सुनवाई का उचित मौका दिया जायेगा ।

महोदया, उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा । यह परिवर्तन, यह संशोधन बहुत स्वागत योग्य है और मैं मंत्री महोदय को इसके लिए बधाई देती हूं । धारा नंबर 6 में भी एक परिवर्तन हुआ है । पहले यह कहा गया था कि इस आयोग के प्रशासनिक खर्चों के लिए भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड आफ इंडिया में से पैसा निकाला जाएगा मगर अब यह कहा गया है कि इसी बिल की धारा 11 की उपधारा 1 के अंतर्गत जो अनुदान दिए जाएंगे, उससे यह आयोग अपना खर्च चला सकता है । इससे आयोग का काम आसान हो जाएगा । उसको बार-बार कंसोलिडेटेड फंड के लिए नहीं भागना पड़ेगा बल्कि इसी अनुदान से वे अपना काम चला सकेंगे । उनके काम को आसान करने के लिए यह परिवर्तन बहुत अच्छा है ।

महोदया, धारा 8 में समितियां गठित करने की बात कही गई है । महोदया, इस आयोग के कार्यक्षेत्र को देखते हुए यह व्यवस्था बहुत जरूरी हो गई थी । इसका कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत है, इतना अपार, इतना व्यापक है कि उसकी सदस्य संख्या आप 9 कर दें, 11 कर दें, 21 कर दें तो भी केवल आयोग के सदस्य ही इस काम को पूरा नहीं कर सकते । इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि यदि आयोग किसी परिस्थिति या किसी घटना विशेष के लिए कोई जांच बिठाना चाहता है या कोई और काम करना चाहता है तो उसके लिए विशेष समिति गठित की जा सकती है और बाहर से भी उसके लिए सदस्यों का सहयोजन किया जा सकता है। यह आयोग की कार्यवाही को समुचित और सुचारु रूप से चलाने के लिए एक अच्छा रास्ता है, यह मैं कहना चाहती हूं ।

अब आता है बिल का प्राण यानी इस विधेयक की लाइफ-लाइन । यह धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है । इस धारा में इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार है कि यह आयोग बना किसलिए है, यह आयोग करेगा क्या आदि । पहले इसमें 10 कार्य दिए गए थे लेकिन लोक सभा में डिस्कशन के बाद अब इसमें 14 कार्य दिए गए हैं। मैं 10 मिनट की सीमा में सभी कार्यों का वर्णन तो नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख अवश्य करना चाहूंगी । महोदया, आज सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए बने हुए बहुत से कानून आज की परिस्थितियों में अप्रासंगिक हो गए हैं, इर-रेलेवेंट हो गए हैं, बासी हो गए है और कुछ कानून तो निष्प्रभावी होकर रह गए है या प्रभावहीन हो गए हैं और कुछ कानून तो

निष्प्रभावी ही कर रह गए हैं, प्रभावहीन हो गए हैं और कुछ कानून तो आज भी ऐसे हैं जिनमें महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना गया है। इस आयोग के कार्यक्षेत्र में इसे यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है कि वह इस तरह के तमाम कानूनों का अध्ययन करे और उसके बाद उनमें जो वांछित संशोधन होने चाहिएं वह सरकार के माध्यम से लाए और इस प्रकार उन कानूनों को प्रासंगिक बनाए। उदाहरण के तौर पर जैसा आप जानती हैं कि गार्जियनशिप ऐक्ट में आज भी यह व्यवस्था है कि वैध बच्चे का नेचुरल गार्जियन पिता को माना गया है लेकिन अवैध बच्चे का नेचुरल गार्जियन माता को माना गया है यानी अवैध बच्चे के लालन-पालन की जिम्मेदारी माता संभाले, लेकिन वैध बच्चे को यदि वह अपने पास रखना चाहती है तो वह पहले जाकर अदालत में दरख्वास्त दे, वहां यह तर्क और सबूत पेश करे कि उसके पास अपने बच्चे के लालन-पालन के लिए भरपूर पैसा है और उस बच्चे का मां के पास रहना ही हितकर है। उसके इन तमाम दावों से, तमाम तर्कों से यदि जज महोदय सहमत हों तो वह बच्चा मां को मिलेगा वरना पिता उसको ले जाएगा। क्या प्रासंगिकता है इस कानून की ?

इसी तरह से निष्प्रभावी कानूनों की बात मैंने कही। तो आज एंटी-डाउरी ऐक्ट है, दहेज विरोधी कानून है, सती निरोधक कानून है, बाल-विवाह प्रथा निरोधक कानून है, शारदा ऐक्ट है; लेकिन इनके रहते हुए भी वे तमाम काम हो रहे हैं जिनकी रोकथाम के लिए ये कानून बने हुए हैं। महोदया, मैं और किसी कानून की बात क्या करूं, इसी सदन में इंडियन सक्सैशन ऐक्ट का अमेंडमेंट आया। वह धाराएं पारसियों पर लागू होती हैं। उसमें क्या प्रावधान है कि यदि कोई पारसी स्त्री बिना वसीयत के मर जाती है तो उसकी जायदाद उसके बेटे और बेटी में बराबर-बराबर बांट दी जाएगी लेकिन यदि कोई पारसी पुरुष बिना वसीयत के मर जाता है तो उसके बेटे को उसकी बेटी से दुगुना हिस्सा मिलेगा। क्यों? यह असमानता किस आधार पर है ?

मैंने तो यह केवल छोटी-छोटी झलकियां दिखाई हैं और बताया है कि इस तरह के कानून आज भी इस देश में मौजूद है। लेकिन यह खुशी की बात है कि यह आयोग इस तरह के तमाम कानूनों का अध्ययन करके उनमें संशोधन करने का काम करेगा ताकि युग के अनुकूल वह कानून बन सकें और यह आयोग केवल संशोधन नहीं करेगा बल्कि उन कानूनों पर अमल हो रहा है या नहीं इसकी भी निगरानी रखेगा जिससे ये कानून प्रभावी हो सकें। महोदया, इसी तरह से इसकी जो धारा एफ है उसमें इन्होंने कहा है कि यदि महिलाओं को अपने अधिकारों से वंचित किया जाता है या यदि महिलाओं को संरक्षण देने के लिए बने हुए कानूनों का उल्लंघन किया जाता है या महिलाओं के कल्याण के लिए बने हुए किसी नीति निर्देश की अवहेलना की जाती है तो यह आयोग स्वयमेव नोटिस लेकर एप्रोप्रिएट एथोरिटी के साथ मामला उठाएगा और उस संबंध में आगे कार्यवाही करेगा।

मुझे नोटिस देने की शक्ति दी है यह एक स्वागतयोग्य शक्ति है। इसी तरह इसमें एक नया कार्यक्षेत्र जोड़ा है। महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास की योजना आयोग जब योजनाएं बनायेगा तो इस आयोग के सदस्य उसमें शिरकत करेंगे, अपनी सलाह देंगे। उनके अनुभवों का जब योजना आयोग को लाभ मिलेगा तो जो योजनाएं महिलाओं से सम्बन्धित बनेंगी वह ज्यादा प्रभावी बन सकेंगी। यह एक अच्छा कार्यक्षेत्र है।

इसके अलावा इस कार्यक्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहती हूं। आयोग के कार्यक्षेत्र में लिखा गया है कि इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य किसी भी अभिरक्षण गृह और सुधार सदन का इंस्पेक्शन कर सकेंगे, निरीक्षण कर सकेंगे और वहां हो रही अनियमितताओं को सही कर सकेंगे। महोदया, आप जानती होंगी कि हमारे यहां जो अभिरक्षण गृह हैं भक्षणगृह बन गये हैं या व्यभिचार के अड्डे बन गये हैं। इन सुधार सदनों में सुरक्षा के लिए नियुक्त किये गये रक्षक

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

ही भक्षक बन गये । आये दिन कहानियां सुनने में आती हैं कि इस तरह के सदनों में महिलाओं का व्यापार होता है बाजार में महिलाओं को सप्लाई किया जाता है लेकिन कोई उनके ऊपर अंकुश नहीं होता। आप जाइये वह कभी खोल कर नहीं दिखायेंगे अपने सुधार सदन को । अगर इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इस शक्ति को प्राप्त करके इस सुधार सदन का निरीक्षण करेंगे, अभिरक्षण गृहों का निरीक्षण करेंगे तो उन पर एक अंकुश ऐसा रहेगा कि इस तरह की होने वाली अनियमितताएं और व्यभिचार में कमी आयेगी ।

अब मैं एक एम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण धारा की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं । धारा 10 की उपधारा दो से लेकर चार तक बिल्कुल नयी धारा है । ये धाराएं तत्कालीन प्रारूप में नही थीं । हमारी मांग थी कि कोई एक ऐसी धारा इस बिल में होनी चाहिए जो इसको अच्छा औजार बनाये । लेकिन आज सरकार ने धारा 2 से 4 इस के लिए डाली है । मुझे दुख इस बात का है कि मेरी बहन जयन्ती नटराजन जी जब बोल रही थी तो मैं सदन में नहीं थी। दुर्भाग्य से मैं उनका वक्तव्य सुनने से वंचित रह गयी क्योंकि गवर्नमेंट एश्योरेंस की मीटिंग चल रही थी, मैं उसमें व्यस्त थी । लेकिन आज जो चर्चा का सारांश छप कर आया है उसको मैंने पढ़ा । उन्होंने कल एक बात कही थी इस बिल में एक कमी की ओर इंगित करते हुए :

"The greatest drawback of the Bill is that the recommendations of the Commission are not mandatory in nature but they are only recommendatory."

अगर जयन्ती जी यहां होती तो मैं उनको बताना चाहती थी, अब मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहती हूं कि अगर उन्होंने धारा 10 की उपधारा दो को पढ़ा होता तो उन्हें बिल में यह कमी नहीं अखरती । जिस तरह से केन्द्रीय सरकार के रहमोकरम पर बाकी सिफारिशें छोड़ दी जाती हैं कि केन्द्रीय सरकार माने तो माने और नहीं माने तो फाइलों के रैक्स की धूल चटाएं, ऐसा इस बिल में प्रावधान नहीं है । उप धारा दो मैंडेटरी तौर पर यह तय करता है कि केन्द्रीय सरकार पर ये जिम्मेदारी डाली जाती है कि इस आयोग की जो सिफारिशात हैं उनको संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जायेगा रस्मीतौर पर नहीं जैसे और बाकी रिपोर्टें रख दी जाती हैं बल्कि उसके साथ एक व्याख्यात्मक ज्ञापन भी लगेगा जिसमें केन्द्रीय सरकार दोनों सदनों को यह बतायेगी कि आयोग की फलां सिफारिश पर क्या कार्रवाई की गयी है यह आयोग की फलां सिफारिश पर क्या कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है या आयोग की फलां सिफारिश को केन्द्रीय सरकार अगर नहीं मान रही है तो उसके कारण क्या हैं । मैं खुद यह मानती हूं कि अगर किसी जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही का सिद्धांत नही लागू होता तो वह जिम्मेदारी कोई नहीं निभाता । लेकिन इस धारा में केन्द्रीय सरकार को जवाबदेह बनाया है । मेरी बहन अगर इस धारा को पढ़ती तो वह कभी उनको दिखाई न देती ।

इस बिल की धारा 10 की उपधारा तीन में केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों पर भी यह जिम्मेदारी डाल दी है । अगर इस आयोग की किसी सिफारिश का कोई हिस्सा किसी राज्य सरकार से सम्बन्धित है तो उस राज्य सरकार को यह कहा जायेगा कि वह उस सिफारिश के सम्बन्धित हिस्से को अपने विधान मंडल के सामने रखे और विधान मंडल के सामने यह बताये कि उसकी इस सिफारिश पर वह क्या कार्रवाई कर रहे हैं या क्या कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है । अगर उस सिफारिश को नहीं मान रहे हैं तो उसके क्या कारण हैं । इससे विधान मंडल के सामने राज्य सरकार की जवाबदेही बनती है । इन दोनों चीजों के बाद यह कमी इस बिल में नहीं रहती । इस धारा 10 की उपधारा चार जो है उसमें महत्वपूर्ण बात कही गई है।

यह बिल की जो उपधारा है इसमें यह है कि इस आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां दी जाएंगी । मुझे बड़ा दुख है जब मैंने चर्चा का सारांश पढ़ा जिसमें जयन्ती जी ने खुद इस बात की मांग की :

"The Commission should have powers as well. One of the most important powers of the Commission should be the power of the court."

उन्होंने कहा है इसको एक न्यायालय की शक्तियां होनी चाहिए । उनका भाषण मैंने सुना नहीं था लेकिन चर्चा का सारांश पढ़ा । पर वीणा वर्मा जी का भाषण तो मैंने सुना था । मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इस पर एतराज उठाया । उन्होंने कहा कि इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां क्यों दी गयी हैं । उस पर बिना वजह बोझ डाल दिया गया है । मुझे समझ नहीं आता कि दोनों में से कौन सी बहन अपने दल की नीति की बात कर रही थी क्योंकि दोनों बहनों की परस्पर विरोधी बातें हैं । मुझे लगता है कि वह दल की नीति की बात नहीं कर रही थीं, शायद दोनों बहनें अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट कर रही थी । लेकिन एक ने कोर्ट की शक्तियां मांगी है और दूसरी कह रही हैं कि क्यों दे दी गयी हैं । यह उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं । लेकिन इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगी ... (**व्यवधान**) ।

श्री संघप्रिय गौतम : उन्होंने कहा था कि सिविल कोर्ट में अनेकों साल तक मुकदमें पेंडिंग रह जाते हैं, तय नहीं होते हैं ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उन्होंने कहा था कि इसको सिविल कोर्ट की शक्तियां क्यों दे दी गई हैं, आप उसको पढ़ लीजिये । मैं यह बात कहना चाह रही थी कि जब इस विधेयक का पहले प्रारूप आया था और ये धारायें उसमें नहीं थी तो सबसे बड़ी आपत्ति यह उठाई जाती थी, हमसे कहा जाता था कि does this Commission have any teeth? इसके विरोधी हमसे पूछते थे कि does this Commission have any teeth? तब हम निरूत्तर हो जाते थे । क्योंकि ऐसी कोई धारा नहीं थी । आज हम गर्व से कह सकते हैं कि Yes, this provision provides the teeth to this Commission. यह जो धारा है जिसमें सिविल कोर्ट की शक्तियां इसको प्रदत्त की गई हैं, इस धारा ने इसको तेज औजार के रूप में पेश कर दिया है ।

अध्याय 4 वित्त लेखा और परीक्षा के संबंध में है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी । अब मैं अंत में आ गई हूं । धारा 16 में तो पूरा आमूल-चूल परिवर्तन हो गया है । इस धारा पर धारा 4(2) के बाद हमने सबसे ज्यादा आपत्ति की थी । इस धारा में तत्कालीन प्रारूप में यह प्रावधान था कि वह आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करेगा । आज उसको बदल कर परिवर्तित कर दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार हर बड़े मुद्दे पर इस आयोग से सलाह लेगी । शायद आपको पंजाब की थोड़ी सी जानकारी होगी । हमारे पड़ौसी राज्य पंजाब में एक कहावत है कि पहला दूजे नूं जरकाओ जे ओ न जरके तो आप जरक जाओ । यहां भी यही मामला हुआ । पहले कहते रहे कि आयोग निर्देशों का पालन करेगा । हमने कहा कि यह हमें मंजूर नहीं । उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पालन मत करिये हम आपसे सलाह ले लेंगे । इस तरह से इसकी शब्दावली बदली है । इसके लिए मैं मंत्री महोदया को बधाई देना चाहती हूं । इसको कहते हैं जन प्रतिनिधियों की राय मानना । वरना तो सारी की सारी बहस रस्मी बन कर रह जाती । मैं इस विधेयक के परिवर्तित, संशोधित रूप को लाने के लिए सरकार को बधाई देना चाहती हूं । लेकिन अंत में एक बात पुरजोर ढंग से कहना चाहती हूं कि एक तो जिस तरह का कमीशन केन्द्र में बना है, ऐसे ही

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

कमीशन जब तक राज्य सरकारें भी नहीं बनाएंगी तब तक पूरे हिन्दुस्तान को कोई लाभ नहीं हो सकता है । राज्य सरकारों पर भी यह जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि शाखा के तौर पर इसकी शाखायें राज्यों में बनें । दूसरी बात जो सबसे बड़ी अहम है वह यह है कि आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, इस पर आयोग की सफलता निर्भर करती है । आप जानते हैं, कोई भी संस्था कागजी दस्तावेजों से नहीं चलती दी गई शक्तियों से भी नहीं चलती है । अगर संस्थायें चलती हैं तो इस बात से चलती हैं कि उसके शिखर पर कौन बैठा है ।

उपसभापति : क्या इस हाउस में भी यह बात लागू होती है ?

श्रीमती सुषमा स्वराज : तभी तो मैं आपके संरक्षण में बोल रही हूं । आपके संरक्षण में बोलने में आनन्द आता है । आपके पीठासीन होने पर और शिखर पर होने पर हम बहुत गद्गद् हैं ।

मैं समाप्त करते हुए यह बात कहना चाहती हूं कि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कौन व्यक्ति इसके शिखर पर बैठा है । एक बात मैं कहना चाहूंगी कि पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर अध्यक्षा का चयन किया जाय । वह पोलिटिकल हो, नान-पोलिटिकल हो, किसी दल की हो, किसी क्षेत्र की हो, सारे के सारे पूर्वाग्रहों को छोड़ करके चयन होना चाहिए क्योंकि शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि उस उद्देश्य के प्रति समर्पित होता है तो लाख बाधाओं के बावजूद वह संस्था चलती है और पैसे के अभाव में भी वह संस्था चलती है । लेकिन अगर शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति समर्पित नहीं है तो आप लाख पैसा दे दीजिये, लाख शक्तियां दे दीजिये, ईस तरह की संस्थायें रस्मी और औपचारिक बन कर रह जाती हैं । इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदया से कहना चाहूंगी कि अध्यक्षा और सदस्यों का चयन करते समय थोड़ा पूर्वाग्रहों से मुक्त हों । ऐसे व्यक्ति को अध्यक्षा और सदस्य के रूप में चयन करें जिनमें महिलाओं के विकास और उत्थान में निष्ठा हो, समर्पण की भावना हो । यदि वह ऐसा करेंगी तो निश्चित तौर पर यह विधेयक महिलाओं के विकास और उत्थान में एक मील का पत्थर साबित होगा और राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार की यादगार उपलब्धि होगा, बहुत धन्यवाद ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: You spoke very well.

The House is adjourned till 2.30 for lunch.

The House then adjourned for lunch at forty minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirtyfour minutes past two of the clock, **THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR)** in the Chair.

THE NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN BILL, 1990—CONTD.

श्रीमती प्रतिभा सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम नेशनल कमीशन फार वोमन बिल, 1990 पर चर्चा कर रहे हैं और उस पर बात करने जा रहे हैं । इस विषय में मेरा कहना है कि हमारे जो राष्ट्रीपिता महात्मा गांधी थे; उन्होंने ऐसा माना था कि महिलाओं की शक्ति और उनके सहयोग के बिना हमारी आजादी की लड़ाई और असहयोग की लड़ाई सफल नहीं हो सकती । महिलाओं के प्रति उस समय से ही कांग्रेस जागरूक है । 1857 में झांसी की रानी ने उत्तर भारत में अंग्रेजों को मात देने की कोशिश की । 1857 में महिलाओं का आजादी की लड़ाई के लिये इस तरह से युद्ध में शामिल होना बहुत बड़ी बात थी । आजादी की लड़ाई दक्षिण में चेनम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी । ऐसी बहुत सारी महिलाओं के नाम हैं जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी । सब का नाम मैं समय की